

असौध जमाबंदी रक 06/2022

14.03.2023

- : आदेश :-

अभिलेख 34 (आपि)।

यह संदिग्ध/असौध जमाबंदी रसीदों का वार सं-06/2022 राजस्व उपनिरीक्षक, एल्का सं-03-एड-प्रभावी अंश निलीकरण, क(आरेंड) के जॉन प्रतिवेदन के आलोक में संशोधित किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक, एल्का सं-03-एड-प्रभावी अंश निलीकरण, क(आरेंड) (विभागाग) ने प्रतिवेदन किया है कि अंश-क(आरेंड) (विभागाग) अंतर्गत गौजा-क(आरेंड), थाना सं-11, रवाना सं-107/6, रकबा-0.27 एड़ यदि जमाबंदी-धारी ईशारली मिर्जा-मिया-मोपी मिर्जा, आस-मोपी-थाना-क(आरेंड), जिला-जामनाड़ा के साथ ही जमाबंदी सं-107/6 में जमाबंदी थापन है तथा लगान वर्ष 1989-90 से 2001-02 तक जमा दर्ज है। प्राथमिक काल में किसी एक पदांग का आदेश अंकित नहीं होने से तथा यदि का विस्तृत पुष्टि पत्र होने से उक्त जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होने। उक्त जमाबंदी रसीदों की कावार्ड की अनुसंधान के लिये प्रतिवेदन किया है।

जॉन प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी धारी/उत्तर-जीवित वारिधियों को पकड़ रखने हेतु नोटिस निकल दिया गया।

वारी की ओर से उनके पौत्र श्री मोन्नुभास मुखर्जी तथा परपोत्र श्री एका केंसर ने उपस्थित होकर अपने दावा के समर्थन में वरिष्ठ वार-446/1959-60 (अनुसंधान पदांग, जामनाड़ा) तथा कई लगान रसीदों की कागजातों प्रस्तुत किए हैं। वार में समर्थित कागजातों की प्रकृति एवं सत्यापित प्रती प्रदर्शित किया।

समर्थित कागजातों का अवलोकन किया। विशेषतः 4198 वरजा संकपी प्रतिवेदन- श्री मोन्नु राजस्व उपनिरीक्षक/अंश निलीकरण/अंश-अपीन, क(आरेंड) (विभागाग) से की गई।

भाषी के उपरान्त राजस्व उपनिरीक्षक/अंश निलीकरण/अंश निलीकरण ने संयुक्त प्रतिवेदन देकर जमाबंदी में वर्णित यदि के दावा सं-565 के अंश रकबा-0.27 एड़ यदि जमाबंदी-धारी के जीवित वारिधियों के अंतर्गत शक्ति वरजा संकपी प्रतिवेदन तथा नमूना सत्यापित किया है।

वरिष्ठ वरजा कागजात, लगान लगान रसीद तथा भाषी एड एल्का संकपी जॉन प्रतिवेदन के आलोक में उपलब्ध वर्णित जमाबंदी सं-107/6 को निश्चित किया जाता है। वरिष्ठ राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंश निलीकरण, क(आरेंड) (विभागाग) को निर्देश दिया जाता है कि आम्बलाइन तथा आम्बलाइन पंजी-11 से संबंधित सुधार करें तथा लगान रसीद निर्गत करें।

अभिलेख की कावार्ड समाप्त की जाती है।

14.03.23
अंश निलीकरण
क(आरेंड)
(विभागाग)